U.P. RERA REGISTRATION
No. UPRERAPRJ645360

U.P. RERA WEBSITE ADDRESS
www.up-rera.in

SHALIMAR ONEWORLD

ए एन एस डेवलपर्स प्रा. लि., वनवर्ल्ड इन्टीग्रेटेड टाउनशिप,
बाघामऊ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में प्रस्तावित
अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु आवासीय फ्लैटों की योजना

आशियाना

(एल.आई.जी.) फेज़ 2

पंजीकरण पुस्तिका

Price: ₹300/-

ए. एन. एस. डेवलपर्स प्रा. लि., गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में प्रस्तावित अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु फ्लैटों की योजना

विवरण पुस्तिका

1. योजना का विवरण

प्रस्तावित योजना - **वनवर्ल्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप**
विकासकर्ता कम्पनी - **ए. एन. एस. डेवलपर्स प्रा. लि.**

2. फ्लैटों के प्रकार

एल.आई.जी. (आशियाना फेज़ 2)

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

3.2 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

3.3 आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

3.4 आवेदक को एल.आई.जी (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय रू0 3,00,000/ से कम व रू0 6,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

3.5 आवेदक आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. फ्लैटों का विवरण

फ्लैटों के प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर		फ्लैटों की संख्या	फ्लैटों के तलों की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रू.) (पूर्णांक में)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर देय धनराशि	अवशेष 75% धनराशि की भुगतान की पद्धति
	बिल्टअप एरिया	कार्पेट एरिया						
एल.आई.जी.-आशियाना फेज़ 2 (अल्प आय वर्ग)	43.02	35.65	217	G+6	15,52,000/-	77,600/-	3,10,400/-	बारह समान त्रैमासिक किस्तों में

नोट

1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 6 से 9 पर उपस्थित मानचित्रों के साथ दी गयी है।
2. उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
3. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स या जी.एस.टी, सर्विस टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
4. आवंटन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 15% वार्षिक ब्याज देय होगा।
5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।

6. भूतल पर फ्लैटों के मूल्य का 5%, व प्रथम तल पर 3% अतिरिक्त देय होगा।

7. प्रस्तावित आशियाना फेज़ 2 - एल.आई.जी (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित फ्लैटों में 43.02 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, व फ्लैट में एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, टॉयलेट व किचन स्पेस है।

8. विकासकर्ता द्वारा बैंको से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।

5. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

6. आरक्षण

6.1 शासनादेश के अनुसार आशियाना फेज़ 2 - (एल.आई.जी) श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक / सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हॉरिजोन्टल

6.2 प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणा पत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

6.3 आशियाना फेज़ 2 - (एल.आई.जी) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।

6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सभ्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।

6.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

6.6 आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

6.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

6.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.10 बिन्दु 6.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

6.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

6.12 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होंगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जायेंगे।

7. आवंटन

7.1 फ्लैटों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

7.2 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।

7.3 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र रद्द किये जायेंगे।

7.4 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक एवं ईमेल द्वारा प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जायेगा तथा इस विषय पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.5 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।

7.6 फ्लौटों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्षो अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो तक आवंटित फ्लौटों के विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्षो के पश्चात यह फ्री-होल्ड माना जायेगा, जिसके सम्बन्ध मे विकस प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा फ्री-होल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश एक माह के अन्दर जारी किया जायेगा। इस हेतु आवंटी द्वारा कोई भी फ्री-होल्ड शुल्क देय नही होगा।

7.7 यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो सर्व प्रथम फ्लैट/फ्लैट का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति, पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को हस्तान्तरित किया जायेगा।

8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

8.1 असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि 30 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा वापस कर दी जायेगी।

8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

9. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिए कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

10. फ्री-होल्ड शुल्क

विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटित भवन की भूमि का फ्री-होल्ड के रूप में भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत अनुबन्ध / निबन्धन के पूर्व देय होगा।

11. फ्लैट्स का कब्जा

11.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।

11.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

11.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैविक आपदा, किसानों के आन्दोलन आदि अपरिहार्य स्थिति से बढ़ सकता है।

11.5 आवंटन तिथि से 36 माह में सम्पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को फ्लैट का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में आवंटी को अपनी जमा धनराशि 15% साधारण ब्याज के साथ वापस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

11.6 यदि आवंटी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन करा कर कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटी द्वारा धनराशि वापस करने का आवेदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत

कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।

12. शुल्क / कर आदि की देयता

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

13. अन्य सामान्य नियम व शर्तें

13.1 आवंटन के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण हाइटेक इण्टीग्रेटेड योजना से सम्बन्धित अन्य प्रचलित शर्तें / नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

13.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

13.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

14. पंजीकरण प्रक्रिया

14.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू. 300.00 (जी. एस. टी. सहित) नगद भुगतान पर कार्य दिवसों में कम्पनी कार्यालय 11th तल, शालीमार टाईटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010, उत्तर प्रदेश शाखा एवं शालीमार वनवर्ल्ड, ग्राम बाघामऊ, गोमती नगर विस्तार में सेल्स ऑफिस से रू. 300.00 (जी. एस. टी. सहित) नगद भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है।

14.2 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका किसी भी कार्य दिवस में निर्दिष्ट साइट कार्यालय / कम्पनी कार्यालय से प्राप्त व जमा की जा सकती है।

15. विवरण पुस्तिका के संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरें।

15.1 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का रू. 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा

15.2 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र निर्दिष्ट शाखा में अंतिम तिथि तक कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते हैं।

15.3 पंजीकरण धनराशि का ड्राफ्ट "ANS DPL COL AC MANZIL ASHIYANA PHASE-2" लखनऊ के पक्ष में देय होगा।

16. पंजीकरण हेतु अधिकृत कार्यालय : जहाँ पंजीकरण फार्म प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।

16.1 11वां तल, टाइटेनियम, शालीमार कार्पोरेट पार्क, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

16.2 शालीमार वनवर्ल्ड, ग्राम बाघामऊ, गोमती नगर विस्तार में सेल्स ऑफिस

17. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेश :

17.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी या अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

17.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।

17.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

17.4 आवेदन पत्र पर आवेदक / आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।

17.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किस्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट / चेक के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

18. भुगतान प्रप्ति :

नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 90 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान)
स्ववित्त पोषित (12 समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

19. जाँच-सूची (CHECK LIST)

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।

CHECK LIST (जाँच-सूची)

1.	आवेदन-पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है?	☐
2.	आवेदन-पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर हैं?	☐
3.	बुकिंग धनराशि का चेक / ड्राफ्ट / पे आर्डर सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है?	☐
4.	आवेदक की आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?	☐
5.	मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?	☐
6.	शपथ-पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी से सत्यापित है?	☐
7,	आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है?	☐
8.	पैन कार्ड प्राप्त कर लिया है?	☐
9,	आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है?	☐

साइट प्लान

6mtr Wide Internal Road
Exit
Entry
Tower G
(Prop. LIG)
G+6
Tower H
(Prop. LIG)
G+6
Area for Future
Expansion
Tower B
(Prop. EWS)
G+6
Tower C
(Prop. EWS)
G+6
8mtr Wide Green
Tower D(existing)
140Units(G+4)
Tower F(existing)
160Units(G+4)
6mtr Wide Internal Road
Area for Future
Expansion
Area for Future
Expansion

SHALIMAR ONEWORLD

क्लस्टर प्लान

आशियाना (एल.आई.जी.) फेज़ 2

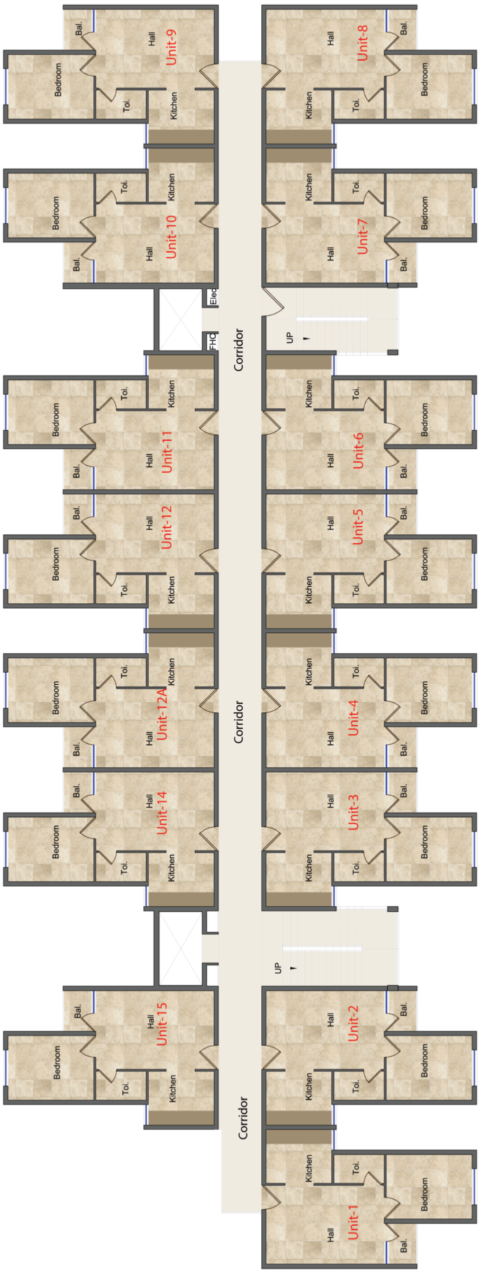

LIG-TOWER G
TYPICAL FLOOR PLAN

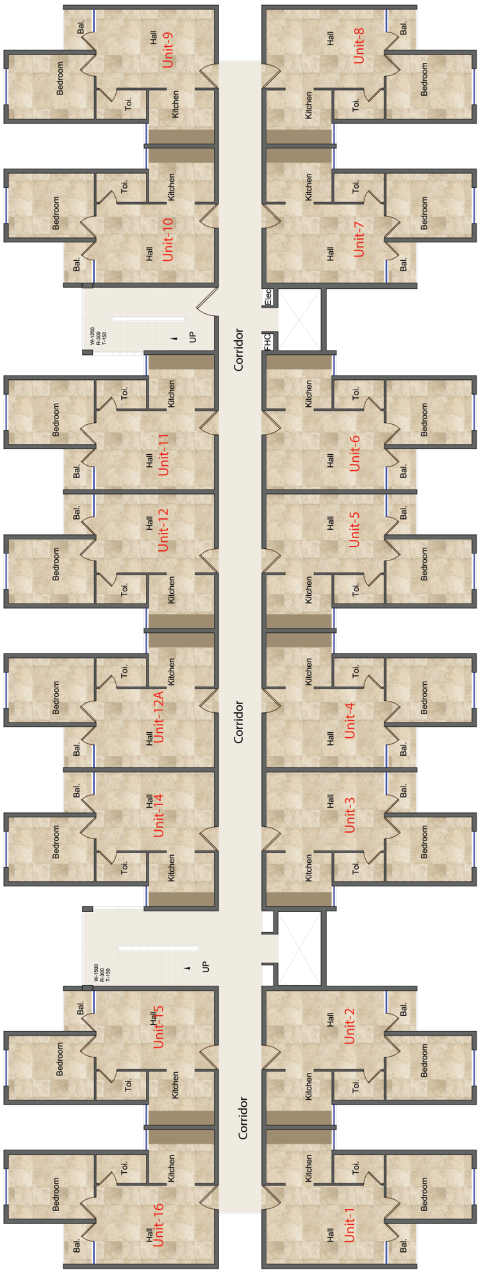

LIG-TOWER H
TYPICAL FLOOR PLAN

यूनिट प्लान

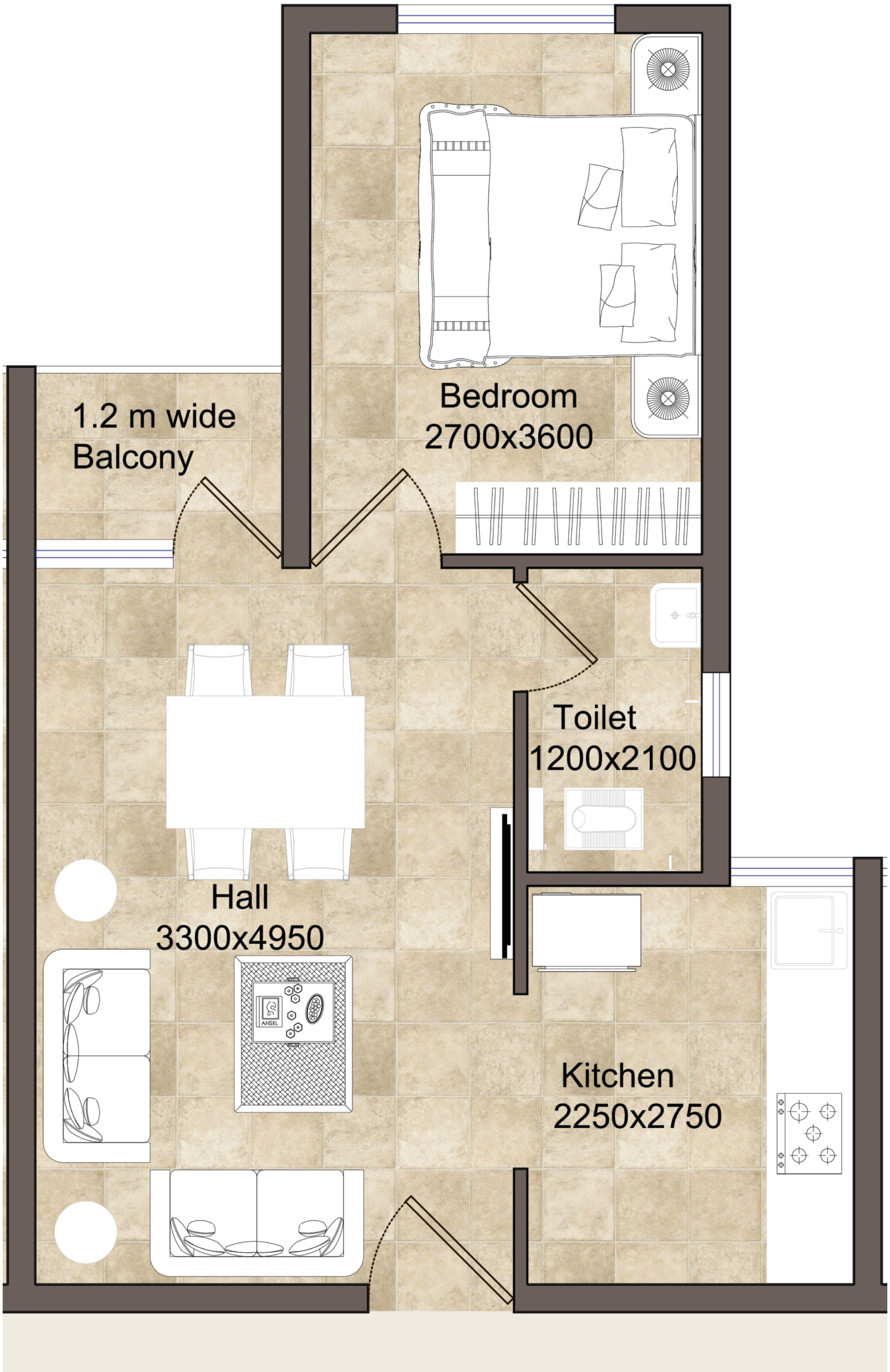
Bedroom
2700x3600
1.2 m wide
Balcony
Toilet
1200x2100
Hall
3300x4950
Kitchen
2250x2750

SHALIMAR ONEWORLD

Specifications

आशियाना (एल.आई.जी.) फेज़ 2

Location		Specification
LIG(Aashiyana)		
Drawing Room/Bed Room	Flooring	Ceramic Tile
	Painting	O.B.D.
	Door	Flush Door with MS Frame
	Window	MS frame with glass panel
	Electrical	One Power point for TV in drawing Room
Kitchen	Flooring	Ceramic Tile
	Painting	O.B.D.
	Counter	Stone Top with 600 mm ceramic tile dado
	Window	MS frame with glass panel
	Electrical	One Power point
	Plumbing	One Tap
Toilet	Flooring	Ceramic Tile
	Painting	O.B.D.
	Dado	900 mm ceramic tile Dado
	Ventilator	MS frame with glass panel
	Plumbing	One Tap for Bathing
		One Tap with Indian WC
		One Tap with Wash Basin
Balcony	Flooring	Ceramic Tile
	Painting	Cement Base exterior paint
Electrical		Standard Counduit wiring with switches
Exterior		Cement based Exterior paint
Structure		Earthquake resistant RCC frame structure

रू. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... उम्र .... वर्ष, पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ :

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण-पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
4. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूँगा/दूँगी।
5. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं हैं।
6. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रू. ..../- थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबन्धियों की आय सम्मिलित है।
7. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
8. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करूँगा/करूँगी।
9. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन :-

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

SHALIMAR ONEWORLD

फ्लैटों हेतु आवेदन-पत्र

फार्म संख्या :

आवेदक का नवीनतम फोटो अनिवार्य है

आवेदक का नवीनतम फोटो अनिवार्य है

1. योजना का नाम ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) 1. .... 2. ....
   (अंग्रेजी में) 1. .... 2. ....
3. पिता/पति का नाम 1. .... 2. ....
4. आयु 1. .... 2. .... (संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जाये)
5. पता (अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) ....
   .... पिन कोड .... मोबाइल नं. ....
   (ब) स्थायी पता ....
   ई मेल.......... मोबाइल नं. ....
6. आवेदित फ्लैटों की श्रेणी - टाइप : ☐ अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)
   (आरक्षित क्षेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) ....
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
   बैंक का नाम .... शाखा का नाम ....
   खाता नं. .... आई.एफ.एस.सी. कोड ....
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण : ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... बैंक का नाम ....
   पंजीकरण धनराशि रू. .... (शब्दों में) ....
9. आवेदक का व्यवसाय .... वार्षिक आय .... (प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
10. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण -

	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जनकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को जो शासनादेश संख्या .... में दिये गये हैं को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदकों/आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्लक

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

दिनांक ....

डिस्क्लेमर

विकासकर्ता मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से लाइसेंस प्राप्त कर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित कर रहा है और परमिट संख्या ग्रुप हाउसिंग/06984/एल0डी0ए0/22-23/2883/09012023 दिनांक 08-05-2023 द्वारा मैप स्वीकृत कराकर ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट विस्तृत रूप से कई गाटा संख्या पर आ रहा है जिसमें से कुछ गाटा संख्या ग्राम समाज के है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा ग्राम समाज के ये गाटे विकासकर्ता मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 को 90 साल की लीज पर पंजीकृत पट्टा विलेख के द्वारा दिए गए है। विकासकर्ता ये भी घोषित करता है कि ई0डब्लू0एस0 का टावर सी-1 गाटा संख्या 235 के कुछ भाग पर टावर सी-1 और डी-1 गाटा संख्या 236 के कुछ भाग पर और एल0आई0जी0 टावर बी-1 का कुछ भाग गाटा संख्या 760 के कुछ भाग पर आ रहा है, जो ग्राम समाज की भूमि है। ग्राम समाज की उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 को दिनांक 24.06.2015 को पंजीकृत पट्टा विलेख के द्वारा दी गई है। उक्त पट्टा विलेख के पैरा नं0 07 के अनुसार पट्टे का नवीनीकरण 30-30 वर्षों के बाद मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 के पक्ष में किया जायेगा।

रसीद

रसीद स0 .... फार्म संख्या .... दिनांक .... प्रोजेक्ट ....
ड्रॉफ्ट राशि ....दिनांक .... संख्या .... बैंक ....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ....
नाम स्पष्ट अक्षरों में ....
स्टैंप ....

SHALIMAR ONEWORLD

लोकेशन मैप

मंज़िल (ई.डब्लू.एस.) फेज़ 2 / आशियाना (एल.आई.जी.) फेज़ 2

In Lucknow's premier Gomti Nagar Extension colony.

Most ideally situated amongst all the townships.

On Amar Shaheed Path - Lucknow's main ring road.

Riverfront of 1.5 Kms

Located in Gomti Nagar Extension & close proximity to - The International Cricket Stadium, the upcoming IT City, Medanta Awadh Hospital, the airport, numerous reputed schools, Lucknow's most premium brands of hotels, Connaught Place, cancer hospital, Ambedkar Udyan and Jeneshwar Mishra Park.

Easy access from Lucknow - Gorakhpur, Lucknow - Varanasi, Lucknow - Raibareily and Lucknow - Kanpur Highways.

ANS Developers Pvt. Ltd.

11th Floor, Titanium, Shalimar Corporate Park, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
T : +91 522 4030444

U.P. RERA REGISTRATION No. UPRERAPRJ645360 | U.P. RERA WEBSITE ADDRESS www.up-rera.in
CIN No. : U70109MH2006PTC237856